संख्या- 80/2471/बयालिस-2015-129(विविध)/2015

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 30 नवम्बर, 2015**

विषय :- खेल विभाग के नियन्त्रणाधीन स्टेडियम में स्थित साईकिल/वाहन स्टैण्ड को ठेके पर उठाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के शासनादेश संख्या- 895/बयालिस-2000, दिनांक 06.04.2000 द्वारा यह निदेश दिया गया था कि स्टेडियम में साइकिल स्टैण्ड का ठेका उसी समय दिया जाये जब कोई प्रतियोगिता आयोजित होनी हो अथवा किसी ऐसे कार्यक्रम में जिसमें काफी अधिक जनता के आने की सम्भावना हो।

इस सम्बन्ध में निदेशक, खेल एवं क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारियों/क्रीड़ाधिकारियों द्वारा खिलाडियों के वाहन, साइकिल आदि की चोरी की शिकायतो के दृष्टिगत खिलाडियों के वाहनों की रक्षा हेतु खेल विभाग के नियंत्रणाधीन स्टेडियमों में स्थित साईकिल/वाहन स्टैण्ड को ठेके पर उठाये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 895/बयालिस-2000, दिनांक 06.04.2000 को अवक्रमित करते हुए निम्नवत निर्णय लिया गया है कि :-

(1)- खेल विभाग के नियत्रंणाधीन स्टेडियमों में स्थित साइकिल/वाहन स्टैण्ड को ठेके पर उठाया जाय।

(2)- ठेका उढ़ाते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि नियमानुसार ठेका जिस ठेकेदार को स्वीकृत किया जाना हो उसकी गहन जॉच पुलिस से कराये जाने के उपरान्त ही ठेका स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाये।

....2

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- स्वीकृत ठेके के ठेकेदार के जो कर्मचारी ठेके/स्टैण्ड पर कार्य करे उनकी भी पुलिस से जाँच करायी जाय तथा उनकी फोटो, निर्वाचन पहचान पत्र, पता एवं फोन/मोबाईल नम्बर आदि का विवरण सम्बन्धित ठेके के ठेकेदार से प्रमाणित कराकर उपलब्ध कराया जाय। सम्बन्धित कर्मचारी फोटो पहचान पत्र (आई0डी0) धारण करेंगे जिसमें उनका नाम बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो।

(4)- सम्बन्धित ठेकेदार ठेके पर उठायी गयी वाहन/साइकिल स्टैण्ड पर एक पट लगाकर उस पर ठेकेदार का नाम व कार्यरत कर्मचारी का नाम व समस्त विवरण प्रदर्शित करेंगे ताकि लोगो को इसकी जानकारी हो सके।

(5)- ठेकेदार द्वारा प्रमाणित कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति स्टैण्ड पर नहीं होगें। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती हे तो ठेके को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(6)- सम्बन्धित क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने नियंत्रणाधीन स्टेडियम के ठेके की प्रभावी निगरानी/देखरेख करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

संख्या- 80/2471(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(2)- समस्त क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी।
(3)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in